कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक/बे0शि0/ 94-95 /2020–21 दिनांकः 18/04/2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्धक, जी0एस0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल, कामबक्शपुर डेरीन, विकास खण्ड दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.04.2020 द्वारा शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के क्रम में विद्यालय की मान्यता का नवीनीकरण/स्थायी करने का अनुरोध किया है। अभिलेखानुसार इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता/270/ए/2017–18 दिनांक 18.05.2017 द्वारा प्राइमरी/जूनियर स्तर (कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक) की कक्षाओं के संचालन हेतु मान्यता तीन वर्ष की अवधि हेतु अंनतिम रूप से प्रदान की गयी थी।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–419/79–6– 2013–18(20)/91 शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 15 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयीं हैः–

प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लघंन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी हैं।

उक्त संस्था के विरूद्ध कार्यालय को मांन्यता प्रदान करने की तिथि से अद्यतन कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। इस आशय का प्रबन्धक द्वारा शपथ पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। उक्त शासनादेश एवं प्रबन्धक, जी0एस0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल, कामबक्शपुर डेरीन, विकास खण्ड दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा पत्रावली में उपलब्ध कराये अपने विद्यालय सम्बन्धी अद्यतन प्रपत्रों के आधार पर विद्यालय का मान्यता कोड GJHS–370 हैं, उक्त विद्यालय की मान्यता को स्थायी समझा जायेगा एवं भविष्य में पत्रांक/ मान्यता/270/ए/2017–18 दिनांक 18.05.2017 में उल्लिखित समस्त शर्तो/मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा एवं शासन द्वारा जारी किये गये नवीन शासनादेश भी प्रभावी होंगे।

(धीरेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पृष्ठांकन एवं दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड दनकौर।
2. प्रबन्धक, जी0एस0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल, कामबक्शपुर डेरीन, विकास खण्ड दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर।
3. गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक /मान्यता/ 270/A /2017–18 दिनांक 18/5/17

प्रबन्धक,
जी0एस0बी0 इण्टरनेशनल स्कूल, कामबक्शपुर डेरीन
जनपद गौतमबुद्धनगर।

विषयः– निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके दिनांक 30.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उपरोक्त विद्यालय को नवीन शैक्षिक सत्र 2017–2018 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम–2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस –पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहिन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा ओर वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी, कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलानों में नियोजित नहीं करेगें।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	=	7165 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्रफल	=	708 वर्ग गज
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल	=	–
कक्षों की संख्या	=	10
प्राध्यापक–सहकार्यालय– सहभण्डार के लिए कक्ष	=	04
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	=	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	=	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई	=	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुँच	=	उपलब्ध है।
अध्यापक पठन पाठन सामग्री/क्रीडा खेल कूद, उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता	=	उपलब्ध है।

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13 विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14 आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक G.J.H.S - 370 है। कृपया इसे नोट कर ले और कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाये।

16 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करें।

17 संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मान्यता से सम्बन्धित समस्त अद्यतन शासनादेश/विभागीय आदेश प्रभावी माने जायेंगे।

19. विद्यालय में अर्ह व टी0टी0ई0 उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।

20. प्रबन्धक द्वारा मान्यता आवेदन के साथ प्रस्तुत कोई भी पत्राजात यदि किसी प्रकार से फर्जी/कूटरचित/मिथ्या पाये जाते है तो मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही के साथ–साथ प्रबन्धक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी।

10/5/17

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पृ0सं0/ बे0शि0/ /2017–18 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर